

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक/एफ 5-52/2016/10-2

रायपुर, दिनांक 3/02/2017

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्र),

भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियेट बिल्डिंग, व्ही.सी.ए.
स्टेडियम के सामने सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र) ।

विषय:- Diversion of 19.907 ha. of Forest land in favour of Executive Engineer, CSPTCL for laying and construction of 132 KV DCDS Vishrampur-Pratappur Transmission Line in Surajpur District in State of Chhattisgarh.

संदर्भ:- 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर का पत्र क्रमांक FC- II/CH-52/2016-NGP/1223 दिनांक 05.01.2017 ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विद्युत/479-153/203 दिनांक 24.01.2017

---00---

विषयांकित संदर्भित पत्र क्र.-1 के माध्यम से चाही गई अतिरिक्त जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र.-2 द्वारा आपको प्रेषित की गई है । उपरोक्त पत्र की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है ।

2/- आदेशानुसार निवेदन है कि, विषयांकित प्रकरण में वांछित अनुमति जारी करने का कष्ट करें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।


(एम.एम.राजूरकर)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
रायपुर, दिनांक /02/2017

पृष्ठां.क्रमांक एफ 5-52/2016/10-2

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ ।
2. वनमंडलाधिकारी सूरजपुर, वन मंडल सूरजपुर, छत्तीसगढ़ ।
3. कार्यपालन अभियंता, अति उच्चदाव निर्माण संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. कोरबा, छत्तीसगढ़ ।
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

E 5-52/2010/102


 क्र. 353/10-21 व
 दिनांक 02.02.2017

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर
 (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2552233

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

 क्र०/भू-प्रबंध/विद्युत/ 479-153/ 203
 प्रति,

रायपुर, दिनांक 24/01/2017

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

भारत सरकार - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय - वेस्ट सेंट्रल रीजन

ईस्टर्न विंग - भू तल, न्यू सेक्रेटेरियेट भवन

VCA के सामने, सिविल लाईन

नागपुर - 440001

 See
 27 JAN 2017

विषय: - Diversion of 19.907 ha. of Forest land in favour of Executive Engineer, CSPTCL for laying and construction of 132 Kv DCDS Vishrampur-Pratappur Transmission Line in Surajpur District in the State of Chhatisgarh - regarding.
 पंजीयन क्रमांक- FP/CG/TRANS/17263/2015

संदर्भ: 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक No. FC- II/CH-52/2016-NGP/1223 दिनांक 05.01.17
 2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा. चि/ न.क्र-50/2017/ 96 दिनांक 22.01.2017

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र - 1 द्वारा भारत सरकार (MoEF&CC), क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा 03 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी।

उक्त संदर्भ में बिन्दुवार चाही गई जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	आपत्ति विवरण	आपत्ति का निराकरण
i	Part - III of the Form - A, does not bear the name of the signing authority. Hard copy of the Part - I submitted along with the proposal has not been signed by the User Agency.	फार्म-A का भाग-III की प्रति नाम सहित संलग्न है। आवेदक संस्थान द्वारा Part - I की हस्ताक्षरयुक्त प्रति संलग्न है। (संलग्नक क्रमांक-1)
ii	Detail of area available for Plantation of dwarf Species preferably medicinal in the clearance available under the conductor and scheme of plantation has not been provided in the proposal.	कन्डक्टर के नीचे बौने औषधि प्रजाति के वृक्षारोपण योजना की प्रति संलग्न किया गया है। (संलग्नक क्रमांक-2)
iii	Examination of the compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 revealed that as per the proceedings of the Sub Divisional Level Committee, 6 right holders have been identified in the Revenue Forest Land. Action taken / proposed to be taken towards the settlement of rights may be intimated by the State Government. Further, documentary evidences in support of settlement of rights viz. record of meeting of the Gram Sabha, Sub-Divisional Level Committee have not been uploaded on the website	वन अधिकार अधिनियम, 2006 अंतर्गत 6 वन अधिकार पत्र धारितों को छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के द्वारा जारी संशोधित आदेश क्रमांक एफ-7-7/सात-1/ 2014 दिनांक 01.06.2016 के अनुरूप लाईन के नीचे प्रभावित कृषकों को राजस्व विभाग के द्वारा निर्धारित मुआवजा का भुगतान आवेदक संस्थान द्वारा किया जावेगा। ऑन लाईन प्रस्ताव में कलेक्टर सूरजपुर के पत्र क्रमांक / 591 दिनांक 15.11.2016 के द्वारा जारी FRA प्रमाण पत्र की मूल प्रति, उपखण्ड स्तरीय

79 Letter Power 2017-18

क्रमश:-2

JAN 2017

Scanned by CamScanner

of the MoEF&CC. Original copy of the certificate issued by the District Collector concerned may be submitted by the State Government.	समिति का कार्यवाही विवरण, एवं ग्राम सभा की बैठक की प्रति वेब साईट पर अपलोड संबंधित कलेक्टर द्वारा किया गया है। कलेक्टर सूरजपुर के पत्र क्रमांक/ 591 दिनांक 15.11.2016 के द्वारा जारी FRA प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं उप खण्ड स्तरीय समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न है। (संलग्नक क्रमांक-3)
--	---

उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति जारी किये जाने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

३६८३११२५६२४१
(मुदित कुमार सिंह)
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-153/20१७

रायपुर, दिनांक 24/01/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

- मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
- वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर वन मंडल, सूरजपुर, छत्तीसगढ़।
- कार्यपालन अभियन्ता, अति उच्च दाव निर्माण संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.कोरबा

वर्तमान में किसी भी प्रकार की वन भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

३६८३११२५६२४१
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़